राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ 13 (11) खा.वि./आवंटन/सा.ऑ./2017 जयपुर, दिनांक 27.06.2018

अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 28 में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये, के द्वारा उचित मूल्य दुकानों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करने या कराने, ऐसे निष्कर्षों को प्रचारित कराने और आवश्यक कार्यवाही करने की बाध्यता है; और

धारा 25 में 'स्थानीय प्राधिकारियों' द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन किए जाने का उत्तरदायित्व है तथा धारा 26 में स्थानीय प्राधिकारी पर बाध्यता है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उपबंधों को कार्यान्वित करने और अधिनियम के अन्तर्गत किसी योजना के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो संबंधित सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा उन्हें सौंपे जाये।

इसी तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड, 2015 के खंड 12(2) में सामाजिक संपरीक्षा के यही उपबंध लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में आवधिक करने हेतु है; और

रिट याचिका (सिविल) संख्या 857/2015 स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेश में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा–28 के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण का निदेश दिया गया है।

भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के आलोक में एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के तहत पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई जा रही है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी सम्मिलित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पारदर्शी एवं जवाबदेह रीति से क्रियान्वयन एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटीकरण में पारदर्शिता संधारित किए जाने हेतु राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करवाए जाने का मन्तव्य रखती है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 की 20) की धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा धारा 28 के अन्तर्गत, उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करने या कराने, ऐसे निष्कर्षों को प्रचारित कराने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक संपरीक्षा नियम, 2018 है।

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ लेखा परीक्षा में सामाजिक संपरीक्षा सम्मिलित है।

(iii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि की तारीख से प्रवृत होंगें।

2. **परिभाषाएं –**

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है;

(2) पद और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम और सार्वजानिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में परिभाषित हैं, के अर्थ वही होंगे, जो उनके अधिनियम और सार्वजानिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में है।

3. **नोडल इंचार्ज व संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति, दायित्व और प्रशिक्षण–**

(i) सामाजिक संपरीक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार और शहरी क्षेत्र में वार्डवार नोडल इंचार्ज की नियुक्ति उस क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी। जिला मुख्यालय के शहरी स्थानीय निकाय में नोडल इंचार्ज की नियुक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम या आयुक्त, नगर परिषद /सचिव, नगर विकास न्यास द्वारा की जाएगी।

(ii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में नोडल इंचार्ज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अथवा अन्य किसी राजकीय विभाग (राजस्व/सहकारिता/कृषि आदि) के कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे नोडल इंचार्ज की नियुक्ति की कार्यवाही प्रत्येक सामाजिक संपरीक्षा से एक माह पूर्व पूर्ण कर तत्संबंधी सूचना नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित जिला रसद अधिकारी को प्रेषित की जाएगी जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाएगा।

(iii) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सभी सदस्यों (सदस्य उपभोक्ता, प्रधानाध्यापक/अध्यापक, स्थानीय सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, पंच एवं सामाजिक कार्यकर्ता आदि) को सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने हेतु संसाधन व्यक्तियों के रूप में उपयोग किया जाएगा।

(iv) नोडल इंचार्ज, सामाजिक संपरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि की जानकारी ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड के पार्षद के साथ–साथ उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों और संबंधित उचित मूल्य दुकानदारों को बैठक तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व अवगत कराकर लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत/वार्ड में प्रचार हेतु कार्यवाही कराएगा।

(v) नोडल इंचार्ज, सामाजिक संपरीक्षा की पूर्व तैयारी बैठक तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व करेगा, जिसमें सामाजिक संपरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख एवं सूचनाओं का खाद्य विभाग के निरीक्षक एवं उचित मूल्य दुकान संचालक से समन्वय कर भली भांति परीक्षण करना भी सम्मिलित है।

(vi) नोडल इंचार्ज, सामाजिक संपरीक्षा का सुचारू संचालन करेगा और निर्धारित अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण करेगा। वह ग्रामसभा/वार्डसभा में सामाजिक संपरीक्षा के दौरान प्राप्त अनुशंषा एवं सुझाव दर्ज करेगा, उचित विचार–विमर्श के बाद प्राप्त सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षात्मक परिणामों को पढ़ेगा और इसे अंतिम रूप देकर रिपोर्ट को प्रपत्र–2 में तैयार करेगा।

(vii) नोडल इंचार्ज को सामाजिक संपरीक्षा हेतु प्रशिक्षण निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले संबंधित जिला रसद अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। मुख्य प्रशिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण खाद्य विभाग द्वारा दिया जाएगा।

(viii) नोडल इंचार्ज को सामाजिक संपरीक्षा की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम दो दिन का निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

4. आवधिक सामाजिक संपरीक्षा हेतु तिथि और अवधि निर्धारण–

(i) प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सामाजिक संपरीक्षा बैठकों का आयोजन 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को किया जाएगा।

(ii) बैठक में प्रपत्र–1 में वर्णित अभिलेखों को, जिनकी अवधि पूर्ववर्ती छमाही की होगी, को सामाजिक संपरीक्षा हेतु रखा जाएगा।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में ही सामाजिक संपरीक्षा बैठक सम्मिलित रूप से आहूत की जाएगी।

(iv) शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों में सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए वार्ड सभा आयोजित करने की तिथि भी उक्तानुसार जनवरी एवं अगस्त माह में ही होगी, जिसका निर्धारण संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 60 दिन पहले किया जाएगा।

परन्तु शहरी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बैठक न हो पाने की स्थिति में सामाजिक संपरीक्षा की आगामी तिथि भी निर्धारित की जाएगी जो पूर्व निर्धारित तिथि के अधिकतम 15 दिवस की अवधि में ही होगी। ऐसी तिथियों की सूचना संबंधित जिला रसद अधिकारी एवं नोडल इंचार्ज को भेजी जाएगी तथा नोडल इंचार्ज द्वारा सूचना सभी संबंधित को समय पर दी जाएगी।

(v) सामाजिक संपरीक्षा की निर्धारित तिथि का स्थानीय स्तर पर समुचित प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि स्थानीय निकाय की बैठक में इस कार्य हेतु राशनकार्डधारियों की समुचित सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

(vi) जिला रसद अधिकारी द्वारा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को सामाजिक संपरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व माह के उपभोक्ता पखवाड़े (प्रत्येक माह की 10 से 25 तारीख) के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को आगामी सामाजिक संपरीक्षा बैठक की जानकारी दिए जाने हेतु पाबन्द करेंगे। निर्धारित तिथि एवं कार्यक्रम की सूचना उचित मूल्य दुकान एवं ग्राम के अन्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी। प्रवर्तन

अधिकारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों का दायित्व अपने क्षेत्र की दुकानों के माध्यम से समुचित सूचना प्रसार के सुपरविजन का होगा।

(vii) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों के माध्यम से ही सामाजिक संपरीक्षा बैठकों का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

(viii) सामाजिक संपरीक्षा के लिए आयोजित बैठक का स्थान ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा अन्य कोई सर्वसुलभ सामुदायिक केन्द्र होगा।

5. सामाजिक लेखापरीक्षा के संबंध में कतिपय व्यक्तियों की बाध्यताएं–

1. प्रत्येक जिला रसद अधिकारी या उसकी ओर से नियुक्त कोई अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि:–
   (i) सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए सभी रिकॉर्ड संबंधित नोडल इंचार्ज को उपलब्ध हो गए हैं;
   (ii) सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन पर सुधारात्मक कार्यवाही की गई है;
   (iii) वंचित लाभार्थियों को अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता अनुसार खाद्यान्न आदि वितरण के लिए कदम उठाएं और अधिनियम का उल्लंघन करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की गई है;
2. ग्राम पंचायत अथवा शहरी निकाय के वार्ड के सभी उचित मूल्य दुकानदार अपने क्षेत्र से संबंधित ग्राम सभा या वार्ड मीटिंग में सामाजिक संपरीक्षा के दौरान उपस्थित रहेंगे तथा प्रश्नों के उत्तर देंगे।

6. सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया–

सामाजिक संपरीक्षा हेतु नियुक्त नोडल इंचार्ज बैठक के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि:–

(i) पूर्ववर्ती सामाजिक संपरीक्षा से संबंधित कार्यवाही प्रतिवेदन को आगामी बैठक के प्रारम्भ में पढ़ कर सुनाया जाएगा।

(ii) खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की पात्रता और अपात्रता के निर्धारित मानदंडों का पठन तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी दिया जाना जिसमें उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध सामग्री की दर और वितरण की जाने वाली निर्धारित मात्रायें भी सम्मिलित हैं।

(iii) शिकायत निवारण तंत्र एवं हेल्पलाइन की जानकारी उपलब्ध कराना और परिवादों के निस्तारण की गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रश्न करना।

(iv) लाभार्थियों की अद्यतन इलेक्ट्रोनिक सूची का पठन किया जाना और बैठक स्थल पर चस्पा करना ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वंचित पात्र परिवारों के साथ–साथ अपात्र परिवारों की पहचान हो सके।

(v) गत छः माह के दौरान उचित मूल्य दुकान को प्रति माह जिला रसद अधिकारी द्वारा आवंटित राशन मात्रा, वास्तविक रूप से प्राप्त मात्रा, माहवार वितरण मात्रा, माहवार पोस ट्रांजेक्शन्स की संख्या एवं अवशेष स्टॉक आदि का विवरण पढ़कर सुनाना तथा उक्त अवधि में नए जुड़े नामों के विपरीत आवश्यक अतिरिक्त खाद्यान्न मात्रा का आकलन करना ताकि समस्त पात्रताधारियों को वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(vi) ऑफलाईन वितरण की स्थिति में वितरण रजिस्टर से उचित मूल्य दुकान को प्रति माह जिला रसद अधिकारी द्वारा आवंटित राशन मात्रा, वास्तविक रूप से प्राप्त मात्रा, माहवार वितरण मात्रा एवं अवशेष स्टॉक आदि का विवरण पढ़कर सुनाना तथा उक्त अवधि में नए जुड़े नामों के विपरीत आवश्यक अतिरिक्त खाद्यान्न मात्रा का आकलन करना ताकि समस्त पात्रताधारियों को वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(vii) पोस मशीन/ऑफलाईन वितरण की स्थिति में रजिस्टर में परिलक्षित गेहूँ की अवशेष मात्रा का भौतिक सत्यापन करना,

(viii) बैठक में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा, सूचना पठन एवं सत्यापन कार्यवाही की जाएगी–

क. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को पात्रतानुसार खाद्यान्न की प्राप्त वास्तविक मात्रा,

ख. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ऐसी दी गई मात्रा के विरूद्ध वसूली गई दर का सत्यापन,

ग. प्रतिदिन निर्धारित कार्य घंटे के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों को खोलना एवं आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना,

घ. कार्डधारकों को पोस मशीन से रसीद/बिल जारी करना,

ङ. बोगस कार्डों के माध्यम से राशन सामग्री का गबन करना,

च. एक ही आधार नम्बर को एकाधिक राशन कार्डों में सीड करवाना,

छ. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गलत आधार सीडिंग के माध्यम से अनुचित ट्रांजेक्शन करना,

ज. नये जुड़े पात्र लाभार्थियों को राशन सुविधा नहीं मिलना,

झ. समय पर राशन नहीं देने, निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने, कम तौलने एवं निर्धारित पात्रता से कम राशन देने आदि की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने,

ञ. फूड कूपन योजना के लाभार्थियों को समय पर राशन प्राप्त होने आदि।

(ix) खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की आस्थगित सूची (ऐसे लाभार्थी जो एक वर्ष या अधिक समय से निर्धारित लाभ प्राप्ति हेतु उचित मूल्य दुकान पर नहीं आ रहे हैं) को पढ़कर सुनाना तथा उक्त सूची में से पात्र/अपात्र लाभार्थियों पहचान करना,

(x) गत छः माह में सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त उचित मूल्य दुकान की शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण पढ़कर सुनाना, वस्तुस्थिति का सत्यापन करना एवं निस्तारण से शेष प्रकरणों का यथा सम्भव मौके पर निराकरण करना,

(xi) भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम दिशा–निर्देशों की जानकारी देना तथा इस संबंध में भ्रान्तियों का निवारण करना,

(xii) पोस मशीन में तकनीकी खराबी अथवा अन्य किसी समस्या के संबंध में चर्चा करना,

(xiii) उचित मूल्य दुकान के साथ अटैच अन्य उचित मूल्य दुकान हेतु भी बिन्दु संख्या (i) से (xi) तक की समस्त कार्यवाही करना,

(xiv) उक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में पुष्टि करने के लिए सभा में उपस्थित समुदाय से प्रश्न करना और उचित विचार–विमर्श करना।

7. **सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों की रिपोर्ट का प्रेषण और कार्यवाही प्रक्रिया–**

(i) नोडल इंचार्ज, सामाजिक संपरीक्षा के दौरान प्राप्त अनुशंषा एवं सुझाव दर्ज कर प्रपत्र–2 में रिपोर्ट को संबंधित विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी को सात दिन में प्रेषित करेगा। विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी सभी पंचायतों की रिपोर्ट संकलित कर उपखंड अधिकारी को प्रेषित करेंगे। उपखंड अधिकारी रिपोर्ट को तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में प्रस्तुत करते हुए समिति की टिप्पणी के साथ आगामी कार्यवाही के लिए जिला कलक्टर को रिपोर्ट प्रपत्र–3 में प्रेषित करेंगे।

परन्तु जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में प्रपत्र–2 की रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/सचिव, नगर विकास न्यास को प्रेषित की जाएगी, जिसे आगामी कार्यवाही के लिए जिला कलक्टर को प्रपत्र–4 में प्रेषित किया जाएगा।

(ii) जिला रसद अधिकारी प्राप्त सभी प्रतिवेदन के निष्कर्षों को जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं पूर्ववर्ती प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर की गई कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

(iii) सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों पर कार्यवाही का पूर्ण पालन सुनिश्चित करवाये जाने के लिए जिला रसद अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(iv) सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन को हिंदी भाषा में तैयार किया जाएगा और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड या स्थानीय निकाय के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) जिले के समग्र सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन को विभागीय वेबसाईट पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपडेट किया जाएगा।

(vi) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सम्पूर्ण राज्य से प्राप्त सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की मॉनीटरिंग एवं तद्नुरूप सुधारात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

(vii) प्रति वर्ष जनवरी एवं अगस्त माह में उक्तानुसार आयोजित सामाजिक संपरीक्षा बैठकों से संबंधित पूर्ण कार्यवाही क्रमशः मार्च एवं दिसम्बर माह तक सम्पन्न कर ली जाएगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

शासन सचिव
खाद्य